दिनांक 24.06.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी बिशनपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई के कार्यवृत्त मे संशोधन

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा नदी बिशनपुर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई **दिनांक 24.06.2014 के कार्यवृत के आपत्ति एवं सुझाव पैरा के बिन्दु संख्या 06** का भाग ख निम्नानुसार है–

6. स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द, मातृ सदन संस्था हरिद्वार निम्न प्रश्न पुछे गये–

क) ————

ख) उनके द्वारा कहा गया कि उपर पहाड़ से कोई पत्थर नहीं आता है, जो भी आता है, वह धारा के साथ बह जाता है तथा यदा कदा कहीं कहीं पर रेत के ढेर एकत्र हो जाते हैं। जब पत्थर उपर से आकर नदी में रूकता ही नही है, तो उसका चुगान कैसे होगा। अतः पुनः पर्यावरण प्रभाव आंकलन होना चाहिये।

उक्त कार्यवृत्त पर मातृ सदन की आपत्ति दिनांक 09.08.14 पर अभिलेखों तथा लोक सुनवाई के समय मातृ सदन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का संज्ञान लेते हुये कार्यवृत में आंशिक संशोधन किया जाता है। **कार्यवृत के आपत्ति एवं सुझाव पैरा के बिन्दु संख्या 06 के भाग ख को निम्नानुसार पढा जायेगा।**

"उनके द्वारा कहा गया कि उपर पहाड़ से कोई पत्थर नहीं आता है। जो भी रेत एवं मिट्‌टी इत्यादि आता है वह धारा के साथ बह जाता है तथा यदा कदा कहीं कहीं पर रेत एवं मिट्‌टी के ढेर एकत्र हो जाते हैं। जब पत्थर उपर से बहकर आता ही नही है, तो उसका चुगान कैसे होगा। अतः पुनः पर्यावरण प्रभाव आंकलन होना चाहिये।"

कार्यवृत के अन्य विषय वस्तु यथावत रहेंगे।

11-9-14
डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी

जे0एस0 नगन्याल
अपर जिलाधिकारी
जिला हरिद्वार